न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या 2021/033
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पुलकीत पुत्र कुलदीप कुमार जाति जाट आयु 11 वर्ष निवासी 3 एच बडा ढाणी पोस्ट ऑफिस 2 एच बड़ा तहसील व जि ला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नीतू वाला पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट निवासी 3 एच बडा ढाणी पोस्ट ऑफिस 2 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नीतू वाला पत्नी कुलदीप कुमार जाति जाट आयु 31 वर्ष निवासी 3 एच बडा ढाणी पोस्ट ऑफिस 2 एच बडा तहसील व ज़िला श्रीगंगानगर। **.......प्रार्थीगण**

बनाम

1. कुलदीप कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी 3 एच बडा ढाणी पोस्ट ऑफिस 2 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी 3 एच बडा ढाणी पोस्ट ऑफिस 2 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। **......अप्रार्थीगण**

उपस्थित– श्री जीतपाल सैनी (प्रार्थीगण)

दिनांक:– 13.02.2025

–निर्णय–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थीगण का वादपत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा चुका है जिसके स्वीकार होने की पुरी पुरी संभावना है। प्रार्थी संख्या 01 नाबालिग है जिसकी आयु 11 वर्ष है तथा कक्षा 4 में अध्यनरत है इसलिए प्रार्थी संख्या 01 की ओर से कुदरती वली माता नीतू वाला द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है नीतू वाला का हित प्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध नही है। प्रार्थी संख्या 01 के पिता व प्रार्थी संख्या 02 के पति कुलदीप कुमार (अप्रार्थी संख्या 01) के नाम से चक 2 ई बडी, पटवार हल्का शिवपुर, तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/44 के मु0नं0 24 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक 0.228 हैक्टे0 व किला न0 6 ता 15 प्रत्येक सालम किला नं0 16/1 की 0.0630 हैक्टर कुल 3.733 हेक्टर व मु0न0 60/13 की 0.126 हेक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 3.8590 हेक्टर में से 965/3859 अर्थात 0.965 हैक्टे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं तथा प्रार्थी सं0 01 के दादा/सुभाषचन्द्र (अप्रार्थी संख्या 02) के नाम से 965/3859 अर्थात 0.965 हेक्टर भूमि दर्ज है। चक 3 एच बडा पटवार हल्का मदेरां तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/11 के मु0न0 38 के किला नं0 1 ता 15 प्रत्येक सालम व किला नं0 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2 प्रत्येक की 0.0630 हेक्टर कुल 4.1100 हैक्टे0 में सुभाषचन्द पुत्र सुल्तानराम का 611/1370 हिस्सा अर्थात 1.833 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस भूमि में प्रार्थी संख्या 01 के पिता कुलदीप कुमार (अप्रार्थी संख्या 01) का 1/4 हिस्सा बनता है कुलदीप कुमार के 1/4 हिस्से [illegible] प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है। पूर्व में सुल्तानराम पुत्र श्योणा के नाम से चक 2 ई बडी तहसील [illegible]गर के मु0 नं0 24 की 14 बीघा 15 बिस्वा व मु0 नं0 60/13 [illegible] 15 [illegible] 5 बिस्वा रकबा दर्ज था, सुल्तानराम की मृत्यु होने के कारण उनके नाम का [illegible] इंतकाल संख्या 105 दिनांक 25.5.92 को सुल्तानराम के वारिसों के नाम से दर्ज हुआ, जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का दादा सुभाषचन्द्र भी एक वारिस था, रामप्यारी पत्नी [illegible]तानराम की मृत्यु होने उसके नाम का हिस्से का विरास्तन इंतकाल संख्या 145 दिनांक 7.4.96 को दर्ज हुआ और में सुल्तानाराम की लडकियां कोशल्य देवी, शिमला देवी कान्तादेवी कान्तादेवी उर्मिला देवी द्वारा अपना हिस्सा की दस्तबरदारी करवा दी गई जिसका इंतकाल संख्या 146 दिनांक 7.8.96 को दर्ज किया गया, इस प्रकार उपरोक्त भूमि सुभाषचन्द्र व कुलदीप कुमार को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि हिन्दू परिवार की संयुक्त भूमि है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का जन्म से अधिकार है। प्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य विभाजन की स्थिति में प्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 02 एक हिस्सा मात्र बनने की अधिकारणी है। इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज भूमि में 1/3, 1/3 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तथा प्रार्थी संख्या 01 के दादा सुभाषचन्द्र के नाम से दर्ज 965/3859 हिस्से में प्रार्थी संख्या 01 के पिता कुलदीप कुमार का 1/4 हिस्सा बनता है कुलदीप कुमार के 1/4 हिस्से में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 3 एच बड़ा पटवार पटवार हल्का मदेरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/11 के मु0 न0 38 की कुल 4.1100 हैक्टे0 में प्रार्थी संख्या 01 के दादा/सुभाषचन्द्र का 611/1370 हिस्सा अर्थात 1.833 हैक्टे0 दर्ज है जिसमें प्रार्थी संख्या 01 के पिता कुलदीप कुमार का 1/4 हिस्सा बनता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है जिसे प्रार्थीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद भूमि है। उक्त दोनों खाता की भूमि हिन्दू परिवार की जददी जायदाद है जिसमें परिवार संयुक्त रूप से काश्त करता आ रहा है इस भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है जिसकी घोषणा के लिए वाद लाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 01 नशेड़ी प्रवृति का व्यक्ति है तथा दारू का शौकीन होने के कारण अनेकों कर्मों में वांछित है तथा इस्तीगाषा, एससी एसटी व अन्य मामलों में विचारण चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 इस भूमि का बेचान कर गलत कार्यों में पैसा लगाना चाहता है तथा इस भूमि को दलालों को दिखा रहा है अप्रार्थी संख्या 01 का अप्रार्थी संख्या 02 पर भी भारी दबाव है कि वह भूमि का बेचान करे इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को बेचान करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी संख्या 01 के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए मजबूरीवश प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है तथा नाबालिग के अधिकारों की सुरक्षा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज है तथा भूमि काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक व हिस्से का बेचान करने क कोशिश में है इसलिए प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में है इसलिए वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 से उपरोक्त दोनों खातों में दर्ज भूमि में अपना 1/3 व 1/3 कुल 2/3 हिस्सा किसी अन्य को बेचान न करने का दिनांक 8.4.2021 को कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, यही वाद कारण है। प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व क्षमताधिकार है तथा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र के निस्तारण तक, अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक चक 2 ई बड़ी पटवार हल्का शिवपुर तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/44 के मु0 न0 24 व मु0 न0 60/13 की कुल 3.8590 हैक्टे0 में से अप्रार्थी संख्या 01/कुलदीप कुमार के हिस्सा 965/3859 अर्थात 0.965 हैक्टे0 भूमि व अप्रार्थी संख्या 02/सुभाषचन्द्र के नाम से दर्ज हिस्सा 965/3859 अर्थात 0.965 हैक्टे0 भूमि को व चक 3 एच बड़ा पटवार हल्का मदेरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं0 14/11 के मु0 न0 38 के कुल 4.1100 हैक्टे0 में अप्रार्थी संख्या 02/सुभाषचन्द्र का 611/1370 हिस्सा अर्थात 1.833 हैक्टे0 भूमि को रहन बेय करने से बाज व ममनू रहे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे, का आदेश दिया जावे तो श्रीमान की कृपा होगी।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध दिनांक 02.08.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण [illegible] विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओं, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व [illegible]ति पर विचारण करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्टया मामला:- वादीगण [illegible] में जमाबन्दी सम्वत 2070-73 चक 2 ई बड़ी के खाता संख्या 54/44 [illegible] चक व चक 3 एच बड़ा के खाता संख्या 14/11 प्रस्तुत की एवं इन्तकाल की प्रतियां [illegible]तुत की। वादी के पिता एवं दादा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जो कृषि भूमि दर्ज है वह जददी जायदाद है एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। अतः वादी का जन्म से ही जददी जायदाद में हिस्सा बनता है। वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आरटीए प्रस्तुत किया है उसमें वादीगण द्वारा अपने हक हिस्सा घोषित करवाने के अनुतोष की मांग की है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किये गये अप्रार्थीगण उक्त प्रश्नगत आराजी का बेचान करना चाहते है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को उसके हिस्से

2023/1036 मूल वाद 2023/006

...गंगानगर (राज.)

...महरूम किया जा रहा है। अतः विन्दू प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलनः— प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है। एवं प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तामिल करवाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आने के कारण विरूद्ध अप्रार्थीगण दिनांक 02.08.2023 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई थी। प्रार्थी का अपने पिता एवं दादा को प्राप्त विरासतन भूमि में हक व हिस्सा है। अतः विन्दू सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अपूर्णीय क्षतिः— वाद की विषयवस्तु विवादित सम्पति को खुर्दबुर्द करने से रोकने, अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित, रहन, बैय आदि करने से रोकने तथा अपने हिस्सा की घोषणा करवाने कि लिये प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण का विरासतन प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण का हक व हिस्सा बनता है। अगर उक्त रकबा का हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा से वंचित रह जायेगा। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः विन्दू अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रश्नगत आराजी चक 2 ई बड़ी, पटवार हल्का शिवपुर, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/44 के मु.न. 24 व मु.न. 60/13 की कुल 3.859 हैक्टे0 में से अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा 965/3859 यानि 0.965 हैक्टे0 एवं चक 3 एच बड़ा, पटवार हल्का मदेरा, भू. अभि. नि. क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/11 के मुरब्बा नं0 38 का रकबा 4.110 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 02 का हिस्सा 611/1370 यानि 1.833 हैक्टे0 कृषि भूमि को रहन, बैय करने से निषिद्ध रहे। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 13.02.2025 को सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के निस्तारण तक मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested